रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 329] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 4, 2009/ज्येष्ठ 14, 1931
No. 329] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 4, 2009/JYAISTHA 14, 1931

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जून, 2009

सा.का.नि. 387(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 53ख की उपधारा (2) और धारा 53ढ की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 63 की उपधारा (2) के खंड (ङक) और खंड (ङङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण (अपील फाइल करने का प्ररूप और फीस और प्रतिकर आवेदन फाइल करने की फीस) नियम, 2009 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं - (1) इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) 'अधिनियम' से प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) अभिप्रेत है ;

(ख) 'अपील' से अधिनियम की धारा 53ख की उपधारा (1) के अधीन की गई अपील अभिप्रेत है ;

(ग) 'अपील अधिकरण' से अधिनियम की धारा 53क की उपधारा (1) के अधीन स्थापित प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण अभिप्रेत है ;

(घ) 'अध्यक्ष' से अधिनियम की धारा 53घ के अधीन नियुक्त अपील अधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(ङ) 'आयोग' से अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग अभिप्रेत है ;

(च) 'प्ररूप' से इन नियमों की अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्ररूप अभिप्रेत है ;

(छ) 'सदस्य' से धारा 53घ की उपधारा (2) के अधीन नियुक्त प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण का सदस्य अभिप्रेत है ;

(ज) 'पक्षकार' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो अपील अधिकरण के समक्ष अपील करता है और जिसके अंतर्गत प्रत्यर्थी भी है ;

(झ) 'रजिस्ट्रार' से अपील अधिकरण का रजिस्ट्रार अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत ऐसे अपील अधिकरण का अधिकारी भी है जो अध्यक्ष द्वारा रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत है ;

(ञ) 'रजिस्ट्री' से अपील अधिकरण का रजिस्ट्री अभिप्रेत है ।

(2) उन शब्दों और पदों के जो इस नियम में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं है और प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अधिनियम में उनका है ।

3. अपील फाइल करते समय प्ररूप और सत्यापन - (1) अपील का ज्ञापन रजिस्ट्री में प्रस्तुत किया जाएगा और इन नियमों से संलग्न प्ररूप में अपील अधिकरण के रजिस्ट्रार को संबोधित रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा जाएगा ।

(2) डाक द्वारा भेजे गए अपील के ज्ञापन को उस दिन प्रस्तुत किया गया समझा जाएगा जिस दिन यह रजिस्ट्री को प्राप्त होता है ।

(3) अपील का प्रत्येक ज्ञापन पांच प्रतियों में होगा और इसके साथ उस निदेश या विनिश्चय या आदेश की प्रमाणित प्रति लगी होगी जिसके विरुद्ध अपील फाइल की गई है ।

(4) जहां किसी पक्षकार का प्रतिनिधित्व किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा किया जाता है वहां प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकार की प्रति और ऐसे प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उसकी लिखित सहमति अपील के ज्ञापन के साथ संलग्न होंगे ।

(5) अपील अधिकरण को प्रस्तुत अपील का प्रत्येक ज्ञापन अंग्रेजी में होगा और यदि यह किसी अन्य भारतीय भाषा में है तो इसके साथ अंग्रेजी में अनुवाद की प्रति होगी और शीर्ष पर लगभग चार सेंटीमीटर के चौड़े अंतरमार्जिन के साथ और दाहिनी ओर 2.5 सेंटीमीटर मार्जिन और बांई ओर 5 सेंटीमीटर मार्जिन के साथ सम्यक् रूप से पृष्ठांकित, सूचीबद्ध और पेपर बुक फार्म में एक साथ सिलाईयुक्त मानक अर्जीपत्र के एक ओर डबल स्पेस देते हुए स्वच्छ और पठनीय टंकित, अश्ममुद्रित या मुद्रित होगी ।

(6) अपील फाइल करने की प्रक्रिया वह होगी जो अपील अधिकरण द्वारा विनिश्चित की जाए ।

4. फीस - (1) अपील के प्रत्येक ज्ञापन और प्रतिकर आवेदन के साथ उपनियम (2) में उपबंधित फीस जमा की जाएगी और ऐसी फीस वेतन और लेखा अधिकारी, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली को देय डिमांड ड्राफ्ट के रूप में प्रेषित की जा सकेगी ।

(2) (i) अपील अधिकरण को की गई अपील और प्रतिकर आवेदन की बाबत देय फीस की रकम इस प्रकार होगी :-

अपील

	अधिरोपित शास्ति की रकम		देय फीस की रकम
1.	बीस हजार रुपए से कम	:	1000 रुपए
2.	पच्चीस हजार रुपए या इससे अधिक किन्तु एक लाख से कम	:	2,500 रुपए
3.	एक लाख रुपए या अधिक	:	अधिकतम 3,00,000 रुपए के अधीन रहते हुए 2,500 रुपए और प्रत्येक अतिरिक्त एक लाख की शास्ति या उसके भाग के लिए 1000 रुपए ।

प्रतिकर आवेदन

	अधिरोपित शास्ति की रकम		देय फीस की रकम
1.	एक लाख रुपए से कम	:	1000 रुपए
2.	एक लाख रुपए से अधिक	:	अधिकतम 3,00,000 रुपए के अधीन रहते हुए 2,500 रुपए और प्रत्येक अतिरिक्त एक लाख की शास्ति या उसके भाग के लिए 1000 रुपए ।

(ii) अधिनियम के अधीन आयोग के निदेश या विनिश्चय या आदेश के विरुद्ध किसी अन्य अपील की बाबत देय फीस की रकम केवल दस हजार रुपए होगी ।

(3) अधिकरण न्याय की वृद्धि के लिए और उपयुक्त मामलों में, यथास्थिति, याची या अपीलार्थी या आवेदक या ऐसे व्यक्ति की आर्थिक दशा या निर्धनावस्था पर विचार करते हुए अभिलिखित कारणों से आदेश द्वारा फीस या इसके भाग के संदाय का अधित्यजन कर सकेगी ।

(4) केन्द्रीय सरकार प्रत्येक दो वर्षों के पश्चात् नियम 4 के अधीन फीस का पुनर्विलोकन कर सकेगी और फीस का संशोधन अधिसूचना द्वारा किया जा सकेगा ।

5. **शिथिल करने की शक्ति**- केन्द्रीय सरकार को किसी वर्ग या मामलों के प्रवर्ग की दशा में इन नियमों के किसी उपबंध को शिथिल करने की शक्ति होगी ।

प्ररूप

(नियम 3 देखिए)

प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 53ख की उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन की जाने वाली अपील का ज्ञापन

..... स्थित प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण में

अपील अधिकारिता

200... की अपील सं0

वाद शीर्षक

कख अपीलार्थी (अपीलार्थियों)

और

गघ प्रत्यर्थी (प्रत्यर्थियों)

के बीच

[समुचित आयोग/न्यायनिर्णायक अधिकारी समेत]

(संक्षिप्त पते के साथ)

1. अपील का ब्यौरा

[प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा के अधीन पारित तारीख (भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग) के आक्षेपित आदेश के विरुद्ध प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा के अधीन अपील]

2. वह तारीख, जिसको ऐसा आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, की संसूचना दी गई और उसका सबूत, यदि कोई हो ।

3. तामीली के लिए अपीलार्थी का पता इस प्रकार है :

(i) डाक पता, पिन कोड सहित

(ii) दूरभाष संख्या, मोबाइल सं0 सहित

(iii) ई-मेल

(iv) फैक्स सं0

(v) प्राधिकृत प्रतिनिधि का पता, दूरभाष संख्या, फैक्स सं0, ई-मेल सहित

4. अपील में सभी नोटिसों की तामीली के लिए प्रत्यर्थियों का पता इस प्रकार है :

(i) डाक पता, पिन कोड सहित

IndiaCode

(ii) दूरभाष संख्या

(iii) ई-मेल

(iv) फैक्स संख्या

(v) मोबाइल नम्बर

(vi) प्राधिकृत प्रतिनिधि का पता, दूरभाष संख्या, फैक्स संख्या, ई-मेल, मोबाइल संख्या सहित

5. अपील अधिकरण की अधिकारिता

अपीलार्थी यह घोषित करता है कि अपील की विषय-वस्तु इस अधिकरण की अधिकारिता के भीतर है ।

6. परिसीमन

अपीलार्थी यह घोषित करता है/घोषित करते हैं कि अपील अधिनियम की धारा 53ख की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर है । (यह स्पष्ट करें कि कैसे अपील उस आदेश/निदेश/विनिश्चय, जिसके विरुद्ध यह अपील की गई है, की तारीख से साठ दिनों की समाप्ति के पश्चात् की गई अपील की दशा में विहित अवधि के भीतर है) । यदि अपील परिसीमा द्वारा वर्जित है तो विलंब की माफी के लिए अंतरवर्ती आवेदन के साथ विलंब के दिनों की संख्या दी जानी चाहिए ।

7. मामले का तथ्य

मामले के तथ्य इस प्रकार हैं :

(अपील में उद्भूत विधि के प्रश्न सहित तथ्यों का संक्षिप्त कथन काल क्रमानुसार दें और इसके पश्चात् मुद्दों को स्पष्ट करें । यावतसाध्य प्रत्येक पैराग्राफ में पृथक्-पृथक् मुद्दे होने चाहिए ।)

8. (i) पक्षकारों के बीच विवाद्यक तथ्य विरचित करें या विवाद विनिर्दिष्ट करें और (ii) विधि का प्रश्न संक्षेप में लिखें जो अपील में विचारार्थ प्रस्तुत है :

(क) विवाद्यक तथ्य

(ख) विधि का प्रश्न

9. विधिक उपबंधों के साथ उठाए गए आधार

10. किसी अन्य न्यायालय में पहले न फाइल किए गए या लंबित मामले

अपीलार्थी आगे यह घोषित करता है कि अपीलार्थी ने ऐसे मामले की बाबत पहले कोई रिट याचिका या वाद किसी न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकरण के समक्ष फाइल नहीं किया है, न ही ऐसी कोई रिट याचिका या वाद इनमें से किसी के समक्ष लंबित है जिसकी बाबत यह अपील की गई है ।

[यदि अपीलार्थी ने ऐसी कोई रिट याचिका या वाद पहले फाइल किया था तो वह प्रक्रम, जिस पर यह लंबित है और यदि विनिश्चय हो गया है तो इसके परिणाम का उल्लेख किया जाना चाहिए तथा आदेश की प्रति भी उपाबद्ध की जानी चाहिए ।]

11. ऐसे अनुतोष (अनुतोषों) के लिए आधार स्पष्ट करते हुए और विधिक उपबंध को, यदि कोई हो, जिसका अवलंब लिया गया है, नीचे विनिर्दिष्ट करें ।

12. अपील के साथ लगाए गए अंतरिम आवेदन, यदि कोई हो, का ब्यौरा

13. अपील/अपीलों का ब्यौरा, यदि कोई इसी आक्षेपित आदेश/निदेश के विरुद्ध प्रत्यर्थियों द्वारा इस अपील अधिकरण के समक्ष की गई थी, तो संख्या, तारीख और अंतरिम आदेश, यदि कोई उस अपील में पारित की गई है (यदि ज्ञात हो)

14. अनुक्रमणिका

[अवलंबित दस्तावेजों के कालक्रमानुसार ब्यौरों की एक अनुक्रमणिका संलग्न की जाती है]

15. *संदेय फीस की विशिष्टियां और वेतन और लेखा अधिकारी, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट का ब्यौरा*

अपील की फीस के संबंध में

बैंक का नाम शाखा दिल्ली में संदेय । डी.डी. संख्या तारीख

16. संलग्नकों की सूची :

1.

2.

3.

4.

17. क्या मूल रूप में यथासंसूचित अपीलाधीन आदेश फाइल किया गया है ? यदि नहीं, तो इसे फाइल न करने का कारण स्पष्ट करें ।

18. क्या अपीलार्थी प्रत्यर्थियों को इसकी प्रति की तामीली के पश्चात् प्रथम सुनवाई के पहले लिखित निवेदन/बहस फाइल करने के लिए तैयार हैं ।

19. क्या सभी संलग्नकों के साथ अपील के ज्ञापन की प्रति सभी प्रत्यर्थियों और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अग्रेषित की गई है, यदि हां, तो यथा विहित प्रक्रिया फीस के संदाय के साथ डाक प्राप्ति/कुरियर प्राप्ति संलग्न करें ।

20. कोई अन्य सुसंगत या महत्वपूर्ण विशिष्टियां/ब्यौरे जिन्हें अपीलार्थी उपवर्णित करना आवश्यक समझते हों :

21. ईप्सित अनुतोष

उपरोक्त पैरा 7 में वर्णित तथ्यों, पैरा 8 में वर्णित विवादित मुद्दों और विधि के प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी निम्नलिखित अनुतोष (अनुतोषों) का अनुरोध करते हैं :—

(क)

(ख)

(ग)

तारीख, 200.....

अपीलार्थी (अपीलार्थियों) के काउंसेल अपीलार्थी (अपीलार्थियों)

2102 GI/09-2

अपीलार्थी द्वारा घोषणा

उपरोक्त अपीलार्थी सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता है (करते हैं) कि किसी महत्वपूर्ण सामग्री को छिपाया या दबाया नहीं गया है और आगे यह घोषणा करता है (करते हैं) कि अवलंबित महत्वपूर्ण कागजों के टाइपकृत सैट और इसके साथ फाइल संलग्नक, मूल की सत्य प्रतियां हैं/मूल का सही पुनरुत्पादन/उसका सही अनुवाद है ।

तारीख, 200... को सत्यापित

अपीलार्थी (अपीलार्थियों) के काउंसेल **अपीलार्थी (अपीलार्थियों)**

सत्यापन

मैं, (अपीलार्थी का नाम) पुत्र/पत्नी/पुत्री [यथास्थिति कोई एक प्रदर्शित करें], आयु वर्ष, कार्यालय में के रूप में कार्यरत, निवासी यह सत्यापित करता हूं कि पैरा से पैरा तक की अंतर्वस्तुएं मेरी निजी जानकारी/शासकीय अभिलेख से प्राप्त के अनुसार सही हैं और पैरा से पैरा तक विधिक सलाह पर सही होने का विश्वास है और यह कि मैंने कोई महत्वपूर्ण तथ्य नहीं छिपाए हैं ।

तारीख :

स्थान :

अपीलार्थी या प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

IndiaCode

[फा. सं. 1/4/2008-सी.एस.]

अविनाश कुमार श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th June, 2009

G.S.R. 387(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (ma) and (me) of sub-section (2) of section 63 read with sub-section (2) of section 53B and sub-section (2) of section 53N, of the Competition Act, 2002 (12 of 2003) the Central Government hereby makes the following rules, namely: -

1. **Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the Competition Appellate Tribunal (Form and fee for filing an appeal and fee for filing compensation applications) Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.** – (1) In these rules, unless the context otherwise requires, –

(a) 'Act' means the Competition Act, 2002 (12 of 2003);

(b) 'appeal' means an appeal preferred under sub-section (1) of section 53B of the Act;

(c) 'Appellate Tribunal' means the Competition Appellate Tribunal established under sub-section (1) of section 53A of the Act;

(d) 'Chairperson' means the Chairperson of the Appellate Tribunal appointed under sub-section (1) of section 53D of the Act;

(e) 'Commission' means the Competition Commission of India established under sub-section (1) of section 7 of the Act;

(f) 'Form' means the form specified in the Schedule to these Rules;

(g) 'Member' means the Member of the Competition Appellate Tribunal appointed under sub-section (2) of section 53D;

(h) 'party' means a person who prefers an appeal before the Appellate Tribunal and includes respondent;

(i) 'Register' means the Registrar of the Appellate Tribunal and includes an officer of such Appellate Tribunal who is authorized by the Chairperson to function as Registrar;

(j) 'Registry' means the registry of the Appellate Tribunal.

(2) The words and expressions used but not defined in these rules and defined in the Competition Act, 2002 (12 of 2003) shall have the same meaning assigned to them in that Act.

3. Form and verification while filing an appeal.- (1) A memorandum of appeal shall be presented in the Registry or shall be sent by registered post addressed to Registrar of the Appellate Tribunal in the Form appended to these rules.

(2) A memorandum of appeal sent by post shall be deemed to have been presented on the day it was received in the registry.

(3) Every Memorandum of Appeal shall be in five copies and shall be accompanied with the certified copy of the direction or decision or order against which the appeal is filed.

(4) where a party is represented by an authorized representative, a copy of the authorisation to act as the authorised representative and the written consent thereto by such authorized representative, shall be appended to memorandum of the appeal.

(5) Every memorandum of appeal presented to the Appellate Tribunal shall be in English and in case it is in some other Indian language, it shall be accompanied by a copy translated in English and shall be fairly and legibly type written, lithographed or printed in double spacing on one side of standard petition paper with an inner margin of about four centimeters width on top and with a right margin of 2.5 cm, and left margin of 5cm, duly paginated, indexed and stitched together in paper book form.

(6) Procedure for filing the appeal shall be as decided by the Appellate Tribunal.

4. Fee.- (1) Every memorandum of appeal and compensation application shall be accompanied with a fee provided in sub-rule (2) and such fee may be remitted in the form of demand draft drawn in favour of Pay and Accounts Officer, Ministry of Corporate Affairs, payable at New Delhi.

(2)(i) The amount of fee payable in respect of appeal and compensation application made to the Appellate Tribunal shall be as follows:-

Appeal

	Amount of penalty imposed		Amount of fees payable
1.	Less than twenty thousand rupees	:	Rs.1,000
2.	Twenty thousand or more rupees but less than one lakh	:	Rs.2,500
3.	One lakh or more rupees	:	Rs.2,500 plus Rs.1,000 for every additional one lakh of penalty or fraction thereof, subject to a maximum of Rs.3,00,000.

Compensation application

	Amount of compensation claimed		Amount of fees payable
1.	Less than one lakh rupees	:	Rs.1,000
2.	More than one lakh rupees	:	Rs.1,000 plus Rs.1,000 for every additional one lakh of compensation claimed or fraction thereof, subject to a maximum of Rs.3,00,000.

(ii) Amount of fee payable in respect of any other appeal against a direction or decision or order of the Commission under the Act shall be rupees ten thousand only.

IndiaCode

(3) The Tribunal may, to advance the cause of justice and in suitable cases, waive payment of fee or portion thereof, taking into consideration the economic condition or indigent circumstances of the petitioner or appellant or applicant or such other reason, as the case may be, by an order for reasons to be recorded.

(4) The Central Government may review the fee under rule 4 after every two years and the fee may be amended by a notification.

5. Powers to relax. – The Central Government shall have power to relax any provision of these rules with respect to any class or category of cases.

FORM

{ See Rule 3 }

Memorandum of Appeal preferred under sub-section (1) and (2) of section 53B of the Competition Act, 2002

IN THE COMPETITION APPELLATE TRIBUNAL

AT _____

APPELLATE JURISDICTION

APPEAL NO. _____OF 200

CAUSE TITLE

Between

A.B.Appellant (s)

And

C.D.Respondent(s)

[including appropriate commission/adjudicating officer]
(with short address)

1. Details of Appeal

[appeal under sectionof the Competition Act, 2002 against impugned order of the (Competition Commission of India) datedpassed under sectionof the Competition Act, 2002.

2. Date on which the order appealed against is communicated and proof thereof, if any.

3. The address of the appellant for service is as set out hereunder:
(i) Postal address including PIN code

(ii) Phone number including mobile number.

(iii) E-mail

(iv) Fax No.

(v) Address of authorized representative with Phone No., Fax No., e-mail

2102 GI/09-3

IndiaCode

4. The address of the respondents for service of all notices in the appeal are as set out hereunder :

(i) Postal address including PIN code

(ii) Phone number

(iii) E-mail

(iv) Fax Number

(v) Mobile Number

(vi) Address of authorized representative with Phone number, Fax number, e-mail and mobile number.

5. Jurisdiction of the Appellate Tribunal

The appellant declares that the subject matter of the appeal is within the jurisdiction of this Tribunal.

6. Limitation

The Appellant/s declare that the appeal is within the period specified in sub-section (2) of section 53B of the Act. (Explain how the appeal is within the period prescribed in case the appeal is preferred after the expiry of 60 days from the date of order/direction/decision against which this appeal is preferred). In case the appeal is barred by limitation, the number of days of delay should be given along with interlocutory application for condonation of delay.

7. Facts of the case

The facts of the case are given below :

(give here a concise statement of facts in a chronological order followed by elaboration of issues including the question of law arising in the appeal. Each paragraph should deal with, as far as possible a separate issue.)

8. Formulate (i) the facts in issue or specify the dispute between the parties and (ii) summarize the questions of law that arise for consideration in the appeal :

(a) Facts in issue
(b) Question of law

9. Grounds raised with legal provisions

10. Matters not previously filed or pending with any other court

The appellant further declares that the appellant had not previously filed any writ petition or suit regarding the matter in respect of which this appeal is preferred before any court or any other authority nor any such writ petition or suit is pending before any of them.

[In case the appellant previously had filed any such writ petition or suit, the stage at which it is pending and, if decided, the outcome of the same should be specified and a copy of the order should also be annexed].

11. Specify below explaining the grounds for such relief (s) and the legal provisions, if any, relied upon.

12. Details of interim application, if any, preferred along with appeal.

13. Details of appeal/s, if any preferred before this Appellate Tribunal against the same impugned order/direction, by Respondents with numbers, dates... and interim order, if any passed in that appeal (if known).

14. Index

[An index containing the details of the documents in chronological order relied upon is enclosed].

15. Particulars of fee payable and details of bank draft in favour of Pay and Accounts Officer, Ministry of Corporate Affairs, New Delhi.

In respect of the fee for appeal.

Name of the Bank _____Branch_____payable at Delhi. DD No. _____Date.

16. List of enclosures :

1.
2.
3.
4.

IndiaCode

17. Whether the order appealed as communicated in original is filed ? If not, explain the reason for not filing the same.

18. Whether the appellant/s is ready to file written submissions/arguments before the first hearing after serving the copy of the same on Respondents.

19. Whether the copy of memorandum of appeal with all enclosures has been forwarded to all respondents and all interested parties, if so, enclose postal receipt/courier receipt in addition to payment of process fee as prescribed.

20. Any other relevant or material particulars/details which the appellant(s) deems necessary to set out :

necessary to set out :

21. Relief sought

In view of the facts mentioned in para 7 above, points in dispute and questions of law set out in Para 8, the appellant prays for the following relief (s) :

(a)

(b)

(c)

Dated at _____this _____day of _____200 .

Counsel for Appellant(s) **Appellant (s)**

DECLARATION BY APPELLANT

The appellant(s) above named hereby solemnly declare (s) that nothing material has been concealed or suppressed and further declare(s) that the enclosures and typed set of material papers relied upon and filed herewith are true copies of the original(s)/fair reproduction of the originals / true translation thereof.

Verified at _____on this at _____day of _____200 .

Counsel for Appellant (s)

APPELLANT(S)

Verification

I _____(Name of the appellant) S/o. W/o. D/o. [indicate any one, as the case may be] _____age_____working as _____in the office of _____resident of _____do hereby verify that the contents of the paras_____to _____are true to my personal knowledge/derived from official record) and para _____to _____are believed to be true on legal advice and that I have not suppressed any material facts.

Date :

Place :

Signature of the appellant or authorized representative

[F. No. 1/4/2008-CS]

AVINASH K. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.